बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::संकल्प::

पत्रांक– 11/यो0.04–01/2026...841... **पटना, दिनांक–...11-5-26...**

विषय:– वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि कुल ₹8,00,00,00,000/– (आठ अरब) रूपये मात्र से राज्य सरकार के सात निश्चय–3 (2025–30) "उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य" के अन्तर्गत राज्य के सभी जिला स्कूल एवं प्रत्येक प्रखंड में चयनित एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल) के रूप में विकसित करने के संबंध में।

वर्तमान में राज्य सरकार के सात निश्चय–3 (2025–30) **"उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य"** अन्तर्गत राज्य के सभी जिला स्कूल एवं प्रत्येक प्रखंड में चयनित एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल) के रूप में विकसित किया जाना है।

2. इन विद्यालयों का उद्देश्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं नवाचार–आधारित शिक्षा प्रदान करना है, ताकि प्रत्येक जिला स्कूल के साथ–साथ प्रत्येक प्रखंड में एक ऐसा सार्वजनिक विद्यालय विकसित किया जा सके, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता का मानक राज्य के साथ–साथ देश में स्थापित कर सके।

3. आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल) की स्थापना हेतु विभाग द्वारा अपनाये गए मापदण्डों/क्रियान्वित की जाने वाली बिन्दुओं की स्थिति निम्नवत् है:–

i. उक्त विद्यालयों की स्थापना हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राज्य के सभी जिला स्कूल के साथ–साथ प्रत्येक प्रखण्ड में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया है।

ii. उक्त विद्यालय में उत्कृष्ट शिक्षण हेतु श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों एवं गुणवत्तापूर्ण छात्रों का चयन विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड पर किया जायेगा।

iii. बेहतर शिक्षण हेतु क्रियाशील विज्ञान प्रयोगशाला, क्रियाशील ICT लैब, क्रियाशील पुस्तकालय, डिजिटल स्क्रीन सहित स्मार्ट कक्षा, कोचिंग की व्यवस्था, साप्ताहिक परीक्षण द्वारा प्रगति की सतत् निगरानी, इच्छुक/जरूरतमंद छात्रों के लिए रिमेडियल कक्षाएँ आदि की व्यवस्था की जायेगी।

iv. उक्त विद्यालयों में मानक के अनुसार पर्याप्त कक्षाएँ, पर्याप्त स्कूल फर्नीचर, खेल सुविधाएँ, बाउंड्री वॉल, पेयजल, हैंडवाश स्टेशन, बालक–बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, स्वास्थ्य एवं Menstrual Hygiene हेतु सुविधाएँ एवं हाई स्पीड इंटरनेट आदि उपलब्ध करा दिया जायेगा।

v. छात्रों के समग्र विकास हेतु पाठ्यक्रम के साथ–साथ अतिरिक्त गतिविधियाँ (Co-curricular एवं extra-curricular activities) संचालित की जाएगी।

vi. विद्यार्थियों के लिए जीविका के सहयोग से अलग पोशाक की व्यवस्था की जायेगी। विशिष्ट यूनिफॉर्म के माध्यम से छात्रों में अनुशासन, एकरूपता एवं विद्यालय की अपनी पहचान विकसित होंगी।

vii. उक्त विद्यालयों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राज्य स्तर पर PMU की स्थापना की गयी है, जिसके द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु सभी संलग्न इकाईयों में समन्वय स्थापित कर कार्यो का निष्पादन किया जायेगा।

viii. उक्त विद्यालयों में शिक्षकों के क्षमतावर्द्धन हेतु शिक्षकों को NEP-2020 आधारित शिक्षा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ix. उक्त विद्यालयों में डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग कर तकनीक आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु शिक्षकों और विद्यार्थियों की DIKSHA, e-LOTS portal एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँच सुनिश्चित की जायेगी।

x. उक्त विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना तथा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के माध्यम से ऑनलाईन कोचिंग एवं कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ऑफलाईन कोचिंग की सुविधाएँ छात्र–छात्राओं को दी जायेगी। साथ हीं मॉडल स्कूलों में मेरिट के आधार पर चयन किये गए शिक्षकों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता आवश्यकतानुसार दिया जायेगा तथा ऐसे शिक्षकों के आवासन की व्यवस्था की जा सकेगी। इन विद्यालयों को सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में जाना जायेगा।

xi. आदर्श विद्यालय के विकास हेतु औसतन प्रति विद्यालय रू0 1,35,00,000/–(एक करोड़ पैंतीस लाख) रूपये मात्र तथा जिला स्कूल के लिए औसतन 4,00,00,000/–(चार करोड़) रूपये मात्र का व्यय विभाग द्वारा निर्धारित नियमावली के आलोक में आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा। यह राशि विद्यालय में छात्रों की नामांकित संख्या, शिक्षकों की संख्या, शैक्षिक सामग्री की आवश्यकता तथा आवश्यक आधारभूत संरचना के आलोक में निर्धारित किया जायेगा।

xii. आदर्श विद्यालय के विकास के लिए यथासंभव केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) किया जायेगा। वर्तमान स्थिति का आकलन कर मानकों के अनुसार आवश्यक कार्यो को ही सम्पादित किया जायेगा ताकि योजनाओं का दोहरीकरण नहीं हो।

4. वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि कुल ₹8,00,00,00,000/– (आठ अरब) रूपये मात्र से राज्य सरकार के सात निश्चय–3 (2025–30) **"उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य"** के अन्तर्गत राज्य के सभी जिला स्कूल एवं प्रत्येक प्रखंड में चयनित एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल) के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. इस योजना का कार्यान्वयन शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जायेगा।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11.5.26

(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव।

ज्ञापांक– 11/यो0.04–01/2026 841 पटना, दिनांक– 11-5-26

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

11-5-26

उप सचिव।

ज्ञापांक– 11/यो0.04–01/2026 841 पटना, दिनांक– 11-5-26

प्रतिलिपिः–मुख्यसचिव, बिहार सरकार/सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डीय आयुक्त, बिहार/संबंधित निदेशक, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

11-5-26

उप सचिव।

ज्ञापांक– 11/यो0.04–01/2026 841 पटना, दिनांक– 11-5-26

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार/संबंधित उप निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11-5-26

उप सचिव।

ज्ञापांक– 11/यो0.04–01/2026 841 पटना, दिनांक– 11-5-26

प्रतिलिपिः–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11-5-26

उप सचिव।